यूनिट के लिए स्थान बताएं। राज्य सरकारों द्वारा बंताए गए स्थनों की जांच इस प्रयोजन के लिए गठित स्थल चयन समिति द्वारा की जाती है, समिति की सिफारिशें पर्यावरण और वन मंत्रालय को उनकी स्वीकृति के लिए भेज दी जाती हैं। तत्पश्चात सरकार किसी विशिष्ट स्थान पर यूनिट स्थापित करने का निर्णय लेती है ।

2. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए किसी राज्य के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार करने का प्रश्न नहीं उठता।

3. उड़ीसा में आयुध निर्माणी बोलंगीर को पूरा करने के अलावा पिछले लगभग 10 वर्षों में किसी यूनिट की स्थापना को स्वीकृति नहीं दी ग़ाई है। पहले से ही उपलब्ध पर्याप्त उत्पादन सुविधाओम को ध्यान में रखते हुए फिलहाल देश के किसी भी भाग में किसी नई रक्षा उत्पादन यूनिट की स्थापना क कोई प्रस्ताव नहीं है।

सैंनिकों को अत्याधुनिक हथियारों का उपलब्ध कराया जाना

4164. **श्री नरेन्द्र मोहन :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारतीय सैंनिकों को हथियार चलाने संबंधी अभ्यास के लिए पर्याप्त मात्रा में गोला-बारूद नहीं मिलता है और एक महिने में मुश्किल से दो बार ही युद्धाभ्यास हो पाता है; और

(ख) नई तोपों और अत्याधुनिक हथियारों से युद्धाभ्यास करने संबंध में क्या नीतियां हैं तथा क्या यह युद्धाभ्यास किसी अंतराल पर कराया जाता है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन.वी.एन.सोमू) : (क) जी, नहीं।

(ख) गोलीबारी के अभ्यास की आवृति यूनिटों के पास उपलब्ध हथियारों के आधार पर भिन्न-भिन्न होती है।

मृतक ग्रेफ (जी.आर. ई.एफ) कार्मिकों के परिवार के सदस्यों को अनुग्रह धनराशि का भुगतान

4165. **श्री गोविन्दराम मिरी :** क्या रक्षा मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि ग्रेफ (जी.आरई.एफ.) के उन अधिकारियों या अधिकारियों या कर्मचारियों के परिवारों / आश्रितों को अनुग्रह धनराशि और अन्य मुआवजे दिये जाते हैं जिनकी ड्यूटी के दौरान उग्रवादियों या असामाजिक तत्वों द्वारा हत्या कर दी जाती है:

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1996 में ऐसे कितने अधिकारियों /कर्मचारियों की इस प्रकार मृत्यु हुई और उन्हें पहले ही दिए गए या दिए जाने वाले मुआवजों का ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन.वी.एन. सोमू) (क) और (ख) ग्रेफ (जी.आर.ई.एफ.) के कर्मचारी और अधिकारी, सामान्य देय राशि व ग्रफ हितकारी निधि एवं सीमा सड़क विशेष राहत निधि तथा राज्य सरकार द्वारा दिए अनुग्रह अनुदानों के साथ ही उदारीकृत पेंशन अवार्ड अथवा कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के अंतर्गत देय मुआवजा, इनमें से जो भी अधिक हो, पाने के पात्र हैं।

(ग) वर्ष 1996 में तीन कार्मिक मारे गए थे और उन्हें देय राहतों का संवितरण दिया जा रहा है।

Installation of Composite Sonar Control System

4166. SHRI AMAR SINGH: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) the reasons for not taking any decision on the installation of Composite Sonar Control System developed at a high cost of Rs. 20 crore on the submarines;

(b) whether responsibility is proposed to be fixed on the officers concerned for inordinate delay; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI N.V.N. SOMU): (a) The Composite Sonar & Tactical Weapon Control System called 'PANCHENDRIYA', developed by Defence Research & Development Organisatin (DRDO), has already been installed on-board a submarine. Sea evaluation of the system will be completed by end 1997 after

which it will be exploited for operatinal use.

(b) and (c) Do not arise in view of the answer to the part (a).

राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेटों के लिए सेवाओं में आरक्षण

4167. **डा जगन्नाथ मिश्र :**
श्री अजीत जोगी :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा कएंगे कि:

(क) राष्ट्रीय कैडेट कोर के कितने कैडेट प्रति वर्ष "बी" और "सी" प्रमाणपत्र प्राप्त करते हैं;

(ख) क्या "बी" और "सी" प्रमाण-पत्रधारी कैडेटों के लिए रक्षा सेनाओं में कोई पद आरक्षित हैं;

(ग) यदि हां, तो रक्षा सेवाओं मे उनके लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित हैं; और

(घ) यदि नहीं, इसके क्या कारण है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन.वी.एन. सोमू) : (क) प्रति वर्ष औसतन 50,000 से अधिक राष्ट्रीय कैडेट कोर कैडेटों को "ख" प्रमाणपत्र और 13,500 से अधिक राष्ट्रीय कैडेट कोर कैडेटों को "ग" प्रमाणपत्र प्रदान किए जाते हैं।

(ख) से (घ) राष्ट्रीय कैडेटा कोर के "ख" और "ग" प्रमाणपत्र धारक कैडेटों के लिए रिक्त पदों का कुछ प्रतिशत रक्षा बलों के अफसर संवर्ग में भर्ती के लिए आरक्षित हैं और रक्षा बलों के अन्य रैंकों में भर्ती के लिए उन्हें अतिरिक्त अंक दिए जाते हैं। इससे संबंधित ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

विवरण

राष्ट्रीय कैडेटों कोर के 'ख' और 'ग' प्रमाणपत्र धारी कैडेटों के लिए रक्षा बलों के अफसर संवर्ग तथा अन्य रैंकों में भर्ती संबंधी रियायतें

संगठन का नाम	अफसर संवर्ग में भर्ती में रियायत	रैंकों को भर्ती में रियायत	टिप्पणी
1	2	3	4
1. सेना	(क) "ग" प्रमाण-पत्र धारक के लिए भारतीय सैन्य अकदमी में प्रत्येक पाठ्यक्रम में 32 रिक्तियां	-	बशर्ते कि वे संघ लोक सेवा आयोग और सेना चयन बोर्ड द्वारा उपयुक्त पाए जाएं
	(ख) राष्ट्रीय कैडेट कोर के "ग" प्रमाण-पत्र धारकों को अफसर प्रशिक्षण अकादमी,चेन्नई में एस.एस.सी.(गैर-तकनीकी) के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा लिखित परीक्षा से छूट दी जाती है।		
		(क) सैनिक (जीडी) श्रेणी और सैनिक तकनीकी/क्लर्क,एस के टी,परिचर्या सहायक के रूप में भर्ती के लिए शारीरिक मानदंडों और लिखित परीक्षा में "ख" और "ग" प्रमाण-पत्र धारकों को 8% और 10% लाभ दिया जाता है।	